companies. Over 80 per cent are family-owned chit fund companies. Ninety per cent of the family-owned chit funds have repeat customers. Sixty per cent of the customers are from rural India. Out of 15,000 chit fund companies, less than one per cent runs it as professional business unit, while the rest work as unorganized setup. Recently, the Parliamentary Standing Committee on Finance had suggested the Government to introduce insurance coverage for safety and security of the money of the subscribers. But there is no such clause in this Bill. It should be included. In the recent days, the people are losing trust on the banking system due to scams, mismanagement and high NPAs. Hence, it is becoming very difficult for the people to avoid investing in chit funds. All the investors should be insured. The majority of the people, who invest in chit funds, are poor people, who invest their money for emergency purposes. Therefore, I strongly propose to take stringent action against defaulters, with a merciless law to prevent such frauds.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the discussion on the Chit Funds (Amendment) Bill, 2019, will continue further. Now, the Special Mentions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kailash Soni; not present. Ch. Sukhram Singh Yadav; not present. Shrimati Chhaya Verma.

Demand for release of extra funds for Naljal Yojana in naxal-affected areas in Chhattisgarh

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में "नलजल योजना" के तहत बसावटों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि नक्सली क्षेत्रों में बसावटें विरल होने के कारण लागत अधिक आती है, लेकिन भारत सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त लागत वहन नहीं की जाती है, इससे योजना के तहत संचालित "नलजल योजना" का कार्य बाधित होता है। गर्मियों में इस क्षेत्र के जलस्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है। जल की कम उपलब्धता के कारण नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक मेहनत से जल का इंतज़ाम करना पड़ता है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है।

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनंदगांव, महासमुंद, बालौदा, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोण्डागांव में "नलजल

[श्रीमती छाया वर्मा]

योजना" के तहत हर घर को नल से जल देने में नियमों को शिथिल करते हुए बढ़ी लागत को योजना के तहत जारी करने हेतु मंत्रालय आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करे, धन्यवाद।

Demand to provide compensation to the poor families of the victims of Dengue

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, इस समय हर वर्ष की भांति मौसम बदलते ही डेंगू का प्रकोप देश के कई प्रदेशों में फैला हुआ है। यह रोग उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर नगर एवं देहात, फतेहपुर, लखनऊ जैसे जिलों में फैला हुआ है। इस रोग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि दर्जनों लोग अचानक काल के गाल में समा चुके हैं और सैकड़ों रोगी विभिन्न जगहों में अपना इलाज करा रहे हैं। शासन द्वारा मरने वालों की संख्या का सही आकलन नही किया जा रहा है।

मेडिकल जगत में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन निजी क्षेत्र के महंगे इलाज का वहन गरीब तबका नही कर पाता और सरकारी इलाज में गरीबों के प्रति उदासीनता के कारण गरीब तबका इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होता है। यही कारण है कि इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में गरीबों की तादाद ज्यादा होती है। केन्द्र सहित राज्य सरकारों को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए जो उपाय करना चाहिए, वह धरातल पर नही दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर मण्डल में डेंगू के प्रकोप से बड़ी तादाद में जनसंख्या प्रभावित है। मेरे गांव मेहरबान सिंह का पूरबा एवं अन्य गांवों मर्दनपुर, तांत्या टोपे नगर, पिपौरी, गुजौनी जैसे दर्जनों गांवों में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि सरकार डेंगू बीमारी से गरीब परिवार के सदस्य की मौत पर आर्थिक अनुदान देने की नीति बनाए, जिससे गरीब परिवार के कमाऊ सदस्य की इस बीमारी से हुई मौत की कुछ हद तक आर्थिक रूप से भरपाई हो सके, धन्यवाद।

Demand to ban the use of antibiotics in the cultivation of vegetables and fruits

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं केन्द्र सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूं कि दिल्ली में यमुना के किनारे तथा आसपास के राज्यों के कुछ किसानों द्वारा फसलों के ऊपर कीटनाशक के तौर पर टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान स्ट्रेप्टोमाइसिन और ट्रेट्रासाइक्लिन का एक साथ छिड़काव करते हैं। इसका मनुष्यों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इन एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से पानी और जमीन भी प्रदूषित होती है। वे इन दवाइयों का छिड़काव फलों, सब्जियों और धान की फसल पर करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है।